न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

शिकायत प्र0सं0 72/2022

विनोद कुमार पुत्र श्री नेतराम जाति जाट निवासी खाटां बारानी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये स्टेट।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. श्योप्रकाश पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन मोटासर खूनी तहसील करणपुर हाल आबाद 3 एलजीएम विजयनगर जिला श्रीगंगानगर। (अलॉटी)
2. सुमित्रा देवी धर्मपत्नी सत्यप्रकाश जाति यादव वार्ड नं 34/13 श्रीगंगानगर। (खरीददार) अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14
राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित : 1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।
2. श्री कुलवन्तसिंह संधू एवं चन्द्रकान्ता यादव, अधिवक्ता, खरीददार अप्रार्थी सं. 02 की ओर से

आदेश दिनांक : 27.09.2022

प्रार्थीया सुमित्रा देवी द्वारा दिनांक 02.08.2022 को इस न्यायालय में पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र अ0 धारा 86(2)(3) भू–राजस्व अधिनियम व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 5 उपनिवेशन अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 21.09.2022 को आदेश पारित कर प्रकरण संख्या 72/2022 विनोद बनाम श्योकरण निर्णय दिनांक 09.06.2022 में पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय आदेश दिनांक 09.06.2022 की कियान्विति स्थगित की गई थी।

उक्त प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्य विभाजन/2022/36 दिनांक 14–01–22 से रायसिंहनगर तहसील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिये जाने के कारण प्रकरण अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता विनोद साकिन खाटां बारानी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी श्योप्रकाश साकिन मोटासर खूनी तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद 3 एलजीएम तहसील विजयनगर के नाम चक 13 आरजीडी तहसील घडसाना के मु.न. 77/48 में 25 बीघा रकबा दिनांक 21–12–1981 को अलॉट हुआ था तथा उसके पिता से हिस्से में 10 बीघा रकबा मिला था। इस प्रकार अप्रार्थी के पास कुल 35 बीघा रकबा था। अप्रार्थी ने तथ्यों को छिपा कर गॉव खांटा बारानी में मु0 नं0 117 प0 सं0 278/288 में 25 बीघा रकबा इस आधार पर अलॉट करवा लिया कि उपरोक्त रकबा पी सी पर उसके पिता के नाम था जबकि उसके पिता के नाम से कभी भी पी सी पर रकबा नहीं रहा। पत्रावली सं0 121/02 में दिनांक 15–5–02 को उपरोक्त रकबा तथ्यों को छिपा कर अपने नाम से अलॉट करवा लिया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि चक खांटा बारानी का मु0 नं0 117 प0 सं0 278/288 में 25 बीघा रकबा खारिज किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.09.2022 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अलॉटी श्योप्रकाश द्वारा खाटां बारानी के मु.न. 117 की 25 बीघा बारानी रकबा को छुपाकर अलौट नहीं करवाया गया है बल्कि उसे अपने पिता के अलॉटशुदा रकबा में 10 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई थी। वह भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा आने से 25 बीघा नहरी अथवा 50 बीघा बारानी भूमि आवंटन करवाने का पात्र था। दिनांक 15.05.1992 को मु.न. 117 का 25 बीघा बारानी रकबा जो अलॉट करवाया गया है वह नहरी में परिवर्तित करने पर केवल मात्र 08 बीघा 06 विस्वा भूमि बनती है। इस प्रकार अलॉटी के पास कुल 18 बीघा 06 विस्वा रकबा बनता है। अलॉटी द्वारा यह रकबा रायसिंह को विक्रय किया गया व रायसिंह के नाम खाता सं. 140/127 मु.न. 117 का 25 बीघा रकबा दर्ज हुआ। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा रायसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08.03.2008 को यह रकबा खरीद कर लिया गया। उक्त रकबा की सनद सं. 2280 दिनांक 21.01.1999 को जारी हो चुकी है। खातेदारी रकबा को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता। खातेदारी सनद जारी होने के उपरान्त आरटीएक्ट के प्रावधान लागू हो जाते है। वकील अप्रार्थी सं. 02 ने बहस में यह भी बताया कि अलॉटी श्योप्रकाश को चक 13 आरजेडी मु.न. 77/48 की 25 बीघा कमाण्ड रकबा मिसल संख्या 163/81 में विशेष आवंटन नियम 13 ए के अन्तर्गत आवंटित हुआ है जो आवंटन की परिभाषा में न आकर सरकार द्वारा विशेष आवंटन के तहत विक्रय की गई भूमि खरीद के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण में अलॉटी द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। अतः शिकायत सारहीन है। अप्रार्थीया सं. 02 द्वारा खातेदारी अधिकार दिनांक 21.01.1999 को जारी होने के उपरान्त रकबा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया गया है। वर्तमान में अप्रार्थी सं. 02 भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अतः शिकायत खारिज की जावें। अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी 2016(2) वॉल्यूम 32 पेज 1116 सरकार बनाम बृजलाल निर्णय दिनांक 26.02.2016, का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया हैं। साथ ही न्यायालय का ध्यान उपनिवेशन अधिनियम – राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम(अलॉटमेन्ट एण्ड सेल ऑफ .....) नियम 1975 के नियम 21 की ओर आकर्षित किया है।

उपरोक्त बहस का खंडन करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि दिनांक 09.06.2022 को पारित आदेश विधिसम्मत् है। अतः शिकायत को स्वीकार किया जाना चाहिए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अलॉटी श्योप्रकाश को खातेदारी सनद संख्या 2280 दिनांक 21.01.1999 को जारी हुई थी। सनद जारी होने के उपरान्त अलॉटी द्वारा रायसिंह नामक व्यक्ति को भूमि का विक्रय किया गया। रायसिंह से अप्रार्थी सं. 02 द्वारा दिनांक 10.03.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा मु0न0 117 की 25 बीघा बारानी भूमि खरीद की गई। अतः खातेदारी रकबा होने के बाद उसे कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता।

आर बी जे 1995 पेज 780 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ए0 आई0 आर0 1994 एस सी पेज 1128 को Reffered करते हुए अवधारित किया गया है कि :–

In Brij Lal Vs Board of Revenue Ors. AIR 1994 SC1128, petitioner BrijLal was allotted the land on temporary basis in the year,1970.He applied for permanenet allotment of this land but the application of the petitioner for permanent was rejected by the Alloting Authority on the ground that the petitioner, at the time when the land was temporarily allotted to him,was minor and, therefore,the allotment of the land on temporary basis to the petitioner was contrary to the provision

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सांकेतिक)
श्रीगंगानगर

of Rules and,therefore,he is not entitled for permanent allotment of the land . The apec Court,after considering the lawon the poine and contention raised counsel for the parties,held as under :-

" on the date when the appellant for permanent allotment he was holding the temporary allotment. If the appleant had procured temporary allotment by giving false declaration regarding age then proceeding for cancelling temporary allotmentshould have been undertaken. The temporary lease of the appellantwas never cancelled. The appellant being "temporary cultivation lease holder." permanent allotment could not be denied to himunder the Rules. We are, therefore, of the view that the Authorities under the Rules and the High Court into patent error in rejectiong the claim of the appellant for permanent allotment."

The allotment of the land in favour of the petitioners, therefore,cannot be said contrary to the provision of the Rules and the presumption is that the allotment was made in their favour in accordance with the procedure provided under the law. There is, therefore, no contravention of any Rules in the allotment of the land to the petitioners.

आर वी जे 1995 पेज 780 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार मिलने के बाद अलॉटमैन्ट खारिज नहीं किया जा सकता है।

RAJASTHAN LAND REVENUE [ALLOTMENT OF LAND FOR AGRICULTURAL PURPOSES] RULES, 1957 AND 1970 RULE 14[4] AFTER CONFERMENT OF KHATEDARI RIGHTS, ALLOTMENT CANNOT BE CANCELLED.

आर वी जे (16)2009 पेज 201 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि :–

RAJASTHAN LAND REVENUE [Allotment of Land for agricultural Purposes] RULES,1970 -RULE 14[4]- Allotment cannot be cancelled under rule 14[4] after conferment of khatedari Rights.

आर वी जे (8)2001 पेज 21 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि :–

RAJASTHAN TENANCY ACT 1955 - SECTION 15- AAA - When the respondents were cultivating the land prior to 1955 - Khatedari rights conferred on them cannot be set aside.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि खातेदारी अधिकार मिलने के बाद अलॉटमेन्ट खारिज नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता तर्क है कि न्यायालय को अलॉटमेन्ट निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है अपने इस तर्क के समर्थन में आरआरटी 2016(2) पेज 1116 सरकार बनाम बृजलाल वगैरह निर्णय दिनांक 26.02.2016 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

राजस्थान अपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975–धारा 11 व 14–भूमि का आवंटन–रेस्पोण्डेन्ट नं.

02'एच' ने आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र निरस्त किया– अति. कलेक्टर ने आवंटन निरस्त किया– राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया– अति. कलेक्टर को अधिकारिता नहीं–पारित किया आदेश बिना अधिकारिता के था व सही अपास्त किया–निर्णीत, अपील खारिज होने योग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन निरस्त करने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

अप्रार्थी सं 02 के अधिवक्ता द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(अलॉटमेन्ट एण्ड सेल ऑफ.....)नियम 1975 के नियम 21 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

नियम 21 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है–

If at any time it is discovered that any allotment of Government land was made under these rules upon an incorrect statement of facts made in the application or in the affidavit or any other document produced by an allottee, the Allotting Authority, may order cancellation of such allotment and may also order re-entry upon and taking possession of the land without payment of any compensation [and the amount of installments already paid shall be forfeited]:

Provided that no such order shall be made without giving the person, likely to be affected thereby, an opportunity of being heard.

उक्त परिभाषा के अनुसार जब किसी अधिनियम में विशेष प्रावधान दिए गए हो उस स्थिति में सामान्य प्रावधान लागू नहीं होते है क्योंकि उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आता है जबकि आवंटन नियम 1975 विशेष अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है।

वकील अपार्थी सं0 2 के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि चक 13 आर जे डी के मु0 नं0 77/48 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि आ आवंटन विशेष आवटन नियम 13ए के अन्तर्गत किया गया है, जो आवंटन न होकर सेल की परिभाषा में आता है। अतः उक्त आवंटन को मुक्त रखा जाना चाहिये। राजस्थान उपनिवेशन (अलॉटमैन्ट एण्ड सेल आफ ......) नियम 1975 के नियम 13–ए के अन्तर्गत सेल बाई स्पेशल अलॉटमैन्ट के अन्तर्गत परिभाषित है। आवंटन आदेश दिनांक 2–12–81 में भी विशेष आवंटन नियम 13 – ए का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 2–12–81 को किये गये विशेष आवंटन नियम 13–ए की गणना सैल में की जानी विधिसम्मत् प्रतीत होती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मेरे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन निरस्त करने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होने, खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं होने के कारण एवं विशेष आवंटन नियम 13–ए के अन्तर्गत सैल होने से, प्रकरण हाजा में कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा पूर्व पारित आदेश दिनांक 09.06.2022 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned with OKEN Scanner